

राजस्थान-सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

पंजीवन क्रमांक 31/बारां/1999-2000

यह प्रमाणित किया जाता है कि भारतमाता शिक्षा सेवा

समिति किशनगंज

जिला बारां

का

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दि० 16-8-99
माह सितंबर एक हजार नौ सौ 16-8-99 को दिया गया।
सौलह अगस्त/उत्तीससा/निम्नानवे



रजिस्ट्रार

संस्थाएं बारां [राज०]
रजिस्ट्रार संस्थाएं